राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ सिविल प्रथम अपील संख्या–144/2014

आदेश दिनांकः– **27.08.2019**

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

उपस्थितः–
अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी :– श्री मोहित गुप्ता
अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी :–

प्रार्थना पत्र संख्या–01/2019 व 02/2019 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 सी.पी.सी. व धारा–5 मियाद अधिनियम मृतक अपीलार्थी श्रीमती प्रभू जिसकी मृत्यु दिनांक 16.02.2019 को होना बताया गया है, के विधिक प्रतिनिधिगण को अभिलेख पर लेने, उपशमन अपास्त करने व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किए गए हैं ।

धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व कारणों को दृष्टिगत रखते हुए व विलम्ब की अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व 9 सी.पी.सी. प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है व प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व 9 सी.पी.सी. में अंकित तथ्यों व कारणों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपशमन अपास्त किया जाता है व मृतक अपीलार्थी श्रीमती प्रभू के विधिक प्रतिनिधिगण को अभिलेख पर लिया जाता है ।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी संशोधित वादशीर्षक एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।

(न्या0 प्रकाश गुप्ता)

ऋषिकेश सोनी/98